

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक : 15 फरवरी, 2000

**विषय : वित्थ समाधान योजना – एक बार समाधान (O.T.S.)।**

महोदय,

विभिन्न विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद के ऐसे आवंटियों क्रेताओं एवं ऋणग्रहीताओं जो भुगतान में वित्थि (डिफाल्टर) हैं, द्वारा दण्ड ब्याज की माफी का प्रायः आवेदन किया जाता है। केस-टू-केस आधार पर इन पर निर्णय में समय भी लगता है तथा एकरूपता भी नहीं रहती है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि एक माह की अवधि के लिये 'एक बार समाधान (One Time Settlement) योजना' चलाई जायें जिसके लिये एक माह की अवधि रखी जाय। इसमें निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए :-

**(I) सिद्धान्त :**

1. जो भी भुगतान का शिड्यूल दिया गया था, और यदि निर्धारित तिथि/ तिथियों तक भुगतान नहीं किया गया है तो वित्थि की अवधि का ब्याज निम्न दर, जो हडको की ब्याज दरों पर आधारित है, से बिना दण्ड ब्याज ले लिया जायेगा :

- |  |               |
|--|---------------|
| (क) साईट्स एवं सर्विसेज के भूखण्डों तथा ई०डब्लू०एस० के भवनों हेतु        | -10.5 प्रतिशत |
| (ख) अल्प आय वर्गीय भवनों हेतु  | -13.5 प्रतिशत |
| (ग) अन्य भवन/भूखण्ड/व्यावसायिक सम्पत्ति/अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति हेतु | -16.5 प्रतिशत |

उपरोक्त दर से वित्थि की अवधि का सामान्य ब्याज देय होगा। किये गये किसी भी भुगतान की तिथि को उस दिन तक के कुल बकाया (मूल व ब्याज) में से भुगतान की गयी धनराशि को घटाते हुए ही आगे का ब्याज जोड़ा जायेगा। प्रतिवर्ष 31 मार्च को कुल बकाये की स्थिति का आंकलन किया जायेगा, परन्तु प्रारम्भ से ही कोई दण्ड ब्याज नहीं जोड़ा जायेगा। उदाहरण संलग्नक-क पर दिया गया है।

2. भुगतान हेतु निर्धारित शिड्यूल (चाहे किस्तों का हो अथवा एकमुश्त का) के आधार पर ही वित्थि अवधि का ब्याज आंगणित किया जायेगा। यदि भुगतान हेतु किसी स्टेज पर कोई सुविधा दी गयी हो, कम ब्याज दर पर, अथवा बिना ब्याज के, तो वह भी यथावत् दी जायेगी परन्तु यदि पूर्ण ब्याज माफी की कोई विशेष व्यवस्था की गयी हो तो वह प्रकरण इस ओ०टी०एस० में तभी शामिल हो सकेगा जब ब्याज माफी की व्यवस्था अलग रखी जाय। उपरोक्त दोनों में विरोधाभास दूर करने के लिये स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम श्रेणी वह है जहाँ पर ब्याज की देयता ही समाप्त कर दी गयी हो अर्थात् ब्याज

का आंगणन ही न किया जाना हो। दूसरी श्रेणी वह है जहाँ ब्याज का आंगणन होता है परन्तु उसे पूरा या आंशिक रूप में माफ करने का निर्णय लिया गया था।

**(II) देय धनराशि का आंकलन :**

उपरोक्त सिद्धान्त पर समाधान (OTS) हेतु देय धनराशि का आंकलन प्राधिकरण/परिषद द्वारा कम्प्यूटर से आंकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु आवेदक को निर्धारित प्रपत्र **संलग्नक-ख** में अपने पूर्ण विवरण पेमेंट शिड्यूल, भुगतान चालान की फोटोप्रतियाँ (प्रमाणीकरण हेतु मूल प्रति भी) सहित कम्प्यूटर काउण्टर पर आना होगा, जहाँ कम्प्यूटर से छपा हुआ आंगणन पत्र (Calculation-Memo) उपलब्ध करा दिया जायेगा।

**(III) भुगतान एवं आवेदन :**

उपरोक्त आंगणन पत्र के आधार पर धनराशि निर्धारित बैंक/प्राधिकरण/परिषद खाते में जमा कर चालान की प्रतिलिपि सहित निर्धारित आवेदन पत्र प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदन कर्ता के बैंक खाते का विवरण भी लिया जायेगा, ताकि रिफण्ड की स्थिति में क्रास चेक से स्वतः भुगतान जारी किया जा सके।

**(IV) अंतिम समाधान :**

योजना की समाप्ति से दो माह के अन्दर सभी आवेदन पत्रों पर अंतिम स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। इसे अवगत कराने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करते समय ही 2 से 4 सप्ताह की एक तिथि पावती के साथ ही सूचित कर दी जायेगी, जिस दिन उन्हें स्वीकृति/आपत्ति पत्र दिया जायेगा। आपत्ति पत्र में आवश्यक ब्यौरे सहित आपत्तियाँ अंकित की जायेंगी जिनका निराकरण कर पुनः काउण्टर पर ब्यौरा उपलब्ध करा दिया जायेगा। उपलब्ध अधिकारी द्वारा उसी दिन/समय अथवा अन्य निर्दिष्ट स्थिति पर अंतिम रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत कर दिया जायेगा। अस्वीकृति की स्थिति में जमा की गयी धनराशि एकाउण्ट पे चेक द्वारा बिना किसी अन्य आवेदन के भेज दी जायेगी।

2. इस शासनादेश के निर्गत होने से पूर्व जिन आवंटियों/संस्थाओं द्वारा देय ब्याज/दण्ड ब्याज तथा मूल की धनराशि पूर्ण रूप से जमा की जा चुकी है, उनके मामलों को नहीं खोला जायेगा। परन्तु यदि केवल आंशिक रूप से जमा है तो आवेदन किया जा सकता है, परन्तु किसी भी मामले में इस योजना के प्राविधानों के अनुसार रिफण्ड की स्थिति बनने पर भी रिफण्ड देय नहीं होगा तथा उसी स्तर पर समाधान स्वीकृत किया जायेगा। यह योजना की महत्वपूर्ण शर्त है।

3. यह योजना केवल एक माह की अवधि के लिये ही दिनांक 22 फरवरी, 2000 से 22 मार्च, 2000 तक के लिये खोली जायेगी। योजना हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस योजना का व्यापक प्रचार कराया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें तथा प्राधिकरण/परिषद को भी अपने बकाया प्राप्त करने में अधिक से अधिक सफलता मिल सके। योजना की सफलता के लिये आवश्यक है कि इसके प्रारम्भ से पूर्व सभी तैयारी/व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जाय। कम्प्यूटर आदि की भी समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

4. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने हेतु शिविर लगाया जाय। प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों का योजनावार ब्यौरा कम्प्यूटर पर रखा जाये।

5. यह योजना सफल हो और इसका लाभ जनता को मिले, इसके लिये उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त स्वयं दैनिक/साप्ताहिक मानीटरिंग करेंगे। शासन स्तर पर जब सभी विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की बैठक होगी, तब इस योजना का भी अनुश्रवण किया जायेगा।

6. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,  
अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव।

**INTEREST CALCULATION MEMO FOR O.T.S.**

संलग्नक-क

Plot No. : 11/181  
Category : OTHName : Mr. Rajeev Bhatnagar  
Scheme : Vikas Nagar Extension**Instalment Details**Amount (in Rs.) : 25000.00 Rate of Interest : 16.50  
Periodicity: 6 Number : 6**OTS Amount if Paid On/By : February 14, 2000 Rs. 67489.00**

Instalment Date	Outstanding On date	Instalment Due	Total Due	Amount Paid Date	Balance Due Amount	Interest till next date	Total c/f to next date
1	2	3	4	5	6	7	8
01/01/1997	0.00	25000.00	25000.00	//	0.00	25000.00	25689.00
//	25689.00	0.00	25689.00	03/03/1997	25000.00	689.00	726.00
01/07/1997	726.00	25000.00	25726.00	//	0.00	25726.00	25831.00
//	25831.00	0.00	25831.00	10/07/1997	25000.00	831.00	897.00
01/01/1998	897.00	25000.00	25897.00	//	0.00	25897.00	28016.00
01/07/1998	28016.00	25000.00	53016.00	//	0.00	53016.00	57402.00
//	57402.00	0.00	57402.00	31/12/1998	25000.00	32402.00	32417.00
01/01/1999	32417.00	25000.00	57417.00	//	0.00	57417.00	59753.00
//	59753.00	0.00	59753.00	01/04/1999	25000.00	34753.00	36183.00
01/07/1999	36183.00	25000.00	61183.00	//	0.00	61183.00	67489.00
	14/02/2000	67489.00	0.00	67489.00	//	0.00	67489.00
	67489.00						0.00

.....विकास प्राधिकरण संलग्नक (क)  
डिफाल्ट के एक बार समाधान (O.T.S.) योजना हेतु आवश्यक सूचना

- Name :
- House/Plot No. : 3. Name of Scheme : 4. Category of House/Plot :
- कुल मूल्य/संशोधित मूल्य रु 0

**Instalment Details किस्तों का विवरण**

- यदि सभी किस्तें समान हैं :

Amount : Rs. . Rate of Interest :  
Periodicity रु मासिक / त्रैमासिक / छमाही / वार्षिक Number :  
First Instalment Due Date : / /

- यदि किस्तों की धनराशि भिन्न-भिन्न है अथवा देयता का समय मासिक / त्रैमासिक आदि नहीं है।

Instalment Amt. : . Date : / /  
Instalment Amt. : . Date : / /  
Instalment Amt. : . Date : / /  
Instalment Amt. : . Date : / /  
Instalment Amt. : . Date : / /  
Instalment Amt. : . Date : / /

- भुगतान हेतु यदि कोई विशेष आदेश दिये गये हों, तो उनका ब्यौरा :

**PAYMENT DETAILS भुगतान विवरण**

भुगतान धनराशि

भुगतान तिथियाँ

Payment Amount : . Date : / /  
Payment Amount : . Date : / /  
Payment Amount : . Date : / /  
Payment Amount : . Date : / /  
Payment Amount : . Date : / /  
Payment Amount : . Date : / /

संलग्नक :

- (i) किस्तों/मूल्य की सूचना पत्र दिनांक..... की प्रतिलिपि हस्ताक्षर  
(ii) भुगतान की रसीदों की प्रतिलिपियों। संख्या..... नाम  
पत्राचार हेतु पता

### भरने हेतु निर्देश :-

1. मूल्य का विवरण यदि परिवर्तित हुआ हो तो संशोधित विवरण अनुसार ही दें।
2. यदि सभी किस्तें एक समान हैं तथा उनकी देयता त्रैमासिक/मासिक/छःमाही/वार्षिक है तो क्रमांक-5 में भरें। यदि किस्तों की धनराशि अलग-अलग है अथवा देयता का समय मासिक/त्रैमासिक आदि अनुसार नहीं है तो क्रमांक-6 भरें। यदि दोनों का मिश्रण है तो तदनुसार दोनों भरें।
3. यदि किसी विशेष परिस्थिति में कोई विशेष आदेश दिये गये हों – जैसे: किसी निर्धारित अवधि का ब्याज न लिया जाना, निर्धारित अवधि का ब्याज कम दर से लिया जाना, अथवा मूल्य में कमी/वृद्धि किया जाना, तो उसका ब्यौरा क्रमांक-7 पर दें। यदि ब्याज में कोई माफी पूर्व में दी गयी होगी तो वह इसमें लागू न होगी। एक ही सम्पत्ति पर दो बार ब्याज माफी नहीं दी जा सकेगी। सम्बन्धित आदेश की प्रतिलिपि भी संलग्न करें ताकि निर्णय लिया जा सके।
4. यह योजना केवल मूल्य के बारे में है। अन्य देयताएं, यदि कोई हों, पर यह लागू नहीं है। उसका भुगतान सामान्य रूप में अलग से करना होगा।

### 5- Category of House/Plot रू

1. साईट्स एवं सर्विसेज के भूखण्डों तथा . EWS  
ई0डब्लू0एस0 के भवनों हेतु
2. अल्प आय वर्गीय भवनों हेतु . LIG
3. अन्य भवन/भूखण्ड/व्यवसायिक सम्पत्ति/अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति हेतु . OTH